राजनीति विज्ञान का अध्यापन

शंकर शरण*

प्रस्तुत लेख में राजनीति विज्ञान की विशेषता और इसके अध्यापन में आने वाली कठिनाइयों का विश्लेषण किया गया है। समाज विज्ञान इस रूप में भी प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न है कि इसमें आलोचनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। विशेषकर राजनीति विज्ञान में देश-काल सापेक्ष मूल्यांकन की भी आवश्यकता पड़ती है। इससे इस विषय के अध्यापन में विशेष सावधानी तथा विवेक अपेक्षित है। यह लेख इन्ही बिंदुओं पर केंद्रित है। कुछ विशिष्ट अवधारणाओं के उदाहरण के साथ इसमें अध्यापकों के लिए उपयोगी सुझाव भी वर्णित हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 के साथ स्कूली कक्षाओं के लिए बना समाज विज्ञान पाठ्यक्रम बच्चों को कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों की चर्चा करने तथा उनसे जोड़ने पर ज़ोर देता है। यह विद्यार्थियों को जानकरी देने के स्थान पर उनके सोच-विचार का आधार बनाने पर केंद्रित है ताकि उनमें आवश्यक बिंदुओं पर जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। अर्थात्, समाज विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य यह माना गया है कि विद्यार्थी सामाजिक विविधता और दुनिया में पैदा होने वाली हलचलों से दो-चार हो। महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं पर वे संवेदनशील बनें, आदि। यह स्वाभाविक रूप से राजनीतिक विज्ञान की शिक्षा को केंद्र में ला देता है, क्योंकि वे बिंदु इस विषय से सीधे जुड़ते हैं।

किंतु राजनीति का अध्ययन गणित या अंग्रेज़ी के अध्ययन से भिन्न है। यह नैतिकता के अध्ययन के अधिक निकट है, जिसे समझने के लिए जीवन का थोड़ा अनुभव होना आवश्यक होता है। अत: राजनीति के अध्ययन की सीमा विद्यार्थी की क्षमता के अनुरूप सीमित रहती है। इससे पहले कि कोई राज्य, शासन, न्यायालय, चुनाव, आदि धारणाएँ समझ सके, उसे कुछ राजनैतिक अनुभव हुआ होना आवश्यक है; इस बात का कि समाज में सही और गलत की समस्याएँ क्या हैं। इस दृष्टि से यह कह सकते हैं कि स्कूली बच्चे राजनीति का वास्तविक अध्ययन नहीं कर सकते जिन्हें अभी कई ज़रूरी बातों का अनुभव होना बाकी रहता है। यह भी एक कारण है कि बच्चे राजनीति विज्ञान को एक अबूझ विषय समझकर इसके प्रति कम ही रुचि रखते हैं। अमूर्त सिद्धांत

* *एसिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* समाज विज्ञान शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

और संस्थाएँ उन्हें सिर का बोझ प्रतीत होती हैं, क्योंकि उन्हें उनका कोई अनुभव नहीं होता।

अत: बच्चों के लिए राजनीति विज्ञान की कुछ धारणाओं तथा संस्थाओं की प्राथमिक समझ प्राप्त कर लेने से ही हमें संतोष होना चाहिए। कम सीखें, पर बेहतर सीखें, यह लक्ष्य रहे। यह इसलिए भी उचित है क्योंकि बच्चे अपरिपक्व मस्तिष्क के होते हैं। यदि समय से पहले ही हम उन्हें बहुत अधिक बताने की कोशिश करें तो उनके बौद्धिक मिथ्याचार की ओर बढ़ने का खतरा है। वे बिना समझे ऐसी बातें दुहराने लगेंगे जिसे उन्होंने न समझा, न अनुभव किया है। राजनीति विज्ञान की शिक्षा में इस गलती से हर हाल में बचना चाहिए।

एक संवेदनशील विषय

उसका एक और कारण है। राजनीति एक संवेदनशील विषय है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, विविधता, एकता, भेदभाव आदि धारणाओं को विभिन्न अर्थों में बताया जा सकता है। क्योंकि राजनीति विभिन्न हितों के संघर्ष का मैदान भी है। इसमें राष्ट्रों, समूहों, वर्गों, दलों के हित टकराते भी हैं। इसीलिए कभी-कभी एक ही चीज़ को दो नाम या अर्थों से संबोधित किया जाता है। (पचहत्तर वर्ष पहले ब्रिटिश पाठ्यपुस्तकों में भारत जैसे उपनिवेशी को 'ब्रिटिश साम्राज्य के अ-स्वशासी अंग' जैसे अनोखे नाम दिए जाते थे।) कई बार एक ही शब्द नितांत भिन्न अर्थों के साथ प्रयुक्त होते हैं। इसलिए भी बहुत-सा राजनीतिक विमर्श अस्पष्ट रहता है। कई बार लंबे-लंबे वक्तव्यों में भी बहुत कम सार होता है। दूसरी ओर राजनीति विज्ञान में कई शब्द अर्थ के साथ-साथ एक अतिरिक्त नैतिक मूल्य भी रखते हैं। ये प्रेरित करते, अनुशंसा करते, आदेश देते, प्रशंसा या निंदा करते हैं, आदि। उनमें अंतर्निहित होता है। जब हम 'महान' (विचार, नेता, आदि), (लोकतांत्रिक अधिकारों का) 'उल्लंघन' या (किन्हीं मनुष्यों की) 'उपेक्षा' जैसे शब्द कहते हैं तो यह हो नहीं सकता कि हम उनका अर्थ लें और उनमें जुड़ा हुआ प्रेरक या निषेधात्मक भाव छोड़ दें। जैसे ही हम 'अधिकार' या 'न्याय' कहते हैं, वैसे ही हम एक मूल्यांकन भी करते हैं। इन शब्दों के प्रयोग मात्र से हम किसी ज़ीज को जायज़ या नाजायज़ कह रहे होते हैं। इसीलिए राजनीति विज्ञान के शिक्षण में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है, ताकि बच्चों को सचमुच मान्य ज्ञान दिया जाए। अन्यथा लापरवाही में हम उनके कच्चे मस्तिष्क को छिछले विचारों से भ्रष्ट कर सकते हैं।

राजनीति का व्याकरण

इस विषय की प्रकृति ही ऐसी है कि प्रत्येक अच्छा शिक्षक इसे अपने तरीके से पढ़ाता है। वह किसी स्थानीय घटना, कहावत या व्यक्तित्व से पाठ आरंभ कर सकता है, और किसी अंतर्राष्ट्रीय समाचार से भी। इसमें स्कूल कहाँ स्थित है, इसकी भी भूमिका होती है कि कोई शिक्षक किस सिरे से अपने विद्यार्थियों का राजनीति विज्ञान से परिचय कराए। पर जैसे हो, उसका मूल उत्तरदायित्व है, वह बच्चों को राजनीति के व्याकरण या आधार का ज्ञान कराए। इसमें (1) राजनीतिक पद या शब्द (2) राजनीतिक संस्थाएँ और ऊपरी कक्षाओं के लिए (3) राजनीतिक सिद्धांत शामिल हैं। इन्हें किस मात्रा और विस्तार

में बताया जाए, यह कक्षा के निचले या ऊपर होने पर निर्भर है। किन्तु पढ़ाई यही ध्यान में रखते हुए हो कि बच्चे इस मूल आधार को यथेष्ठ समझ सकें।

किसी अन्य विषय में शब्दों का इतना ढीला-ढाला या लापरवाही से प्रयोग नहीं होता जितना राजनीति में। संभवत: प्रत्येक पीढ़ी के लिए कॉर्नवेल लेविस जैसी पुस्तक *(On the Use and Abuse of Political Terms)* लिखी जानी चाहिए, ताकि शब्दों के बारे में सावधानी की चिंता रहे। कोई शिक्षक इससे अधिक उपयोगी काम नहीं कर सकता कि वह अपने विद्यार्थियों को राजनीतिक शब्दों को सही अर्थ में, अच्छे उपकरण की तरह प्रयोग करना सिखा सके। दूसरा तत्व है राजनीतिक संस्थाओं की संरचना और कार्य की पक्की जानकारी कि वे क्या हैं और कौन-से काम करती हैं। इन संस्थाओं में केवल राजकीय और राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक संस्थाएँ, जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक संघ, ट्रेड यूनियन आदि भी शामिल हैं।

राजनीति के व्याकरण का तीसरा और अंतिम तत्व है राजनीतिक सिद्धांत, जिसे वयस्क अनुभव के बाद ही ठीक से समझना संभव है। स्कूली बच्चों को केवल अप्रत्यक्ष संकेत भरकर देना ही उपयुक्त है। जिससे वे जानें कि सिद्धांतों से ही राजनीतिक घटनाओं, तथ्यों का मूल्यांकन (जैसे, चुनावी जीत क्या है?) और संस्थाओं का समालोचनात्मक अध्ययन होता है। बिना सैद्धांतिक समझ के लोग, जब जैसी स्थिति हो, या तो किसी संस्था या घटना की भरपूर प्रशंसा या निंदा करने लगते हैं। वास्तव में किसी राजनीतिक घटना का मूल्यांकन करने की समझ राजनैतिक सिद्धांत के ज्ञान से ही मिलती है। सिद्धांत से ही राजनीतिक जीवन के क्षेत्र की समस्याओं की समझ भी विकसित होती है। जैसे, व्यक्ति और समूह के संबंध और वैचारिक दुविधाएँ (जैसे आरक्षण विषय पर), बदलती स्थितियों में संस्थाओं का विकास (जैसे संविधान संशोधन), अपने लिए समुचित नैतिक मूल्यों का निर्धारण जिससे राजनीतिक मामलों पर अपना मत बनाया जा सके, आदि। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से ऐसे प्रश्नों, समस्याओं का समाधान नहीं मिल जाएगा, क्योंकि उनके उत्तरों का तो अंत नहीं है। पर उस अध्ययन से विद्यार्थी को यह समझ में आता है कि वे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जिनका विवेकपूर्ण उत्तर ढूँढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए।

अत: स्कूली स्तर पर हमारा लक्ष्य रहे कि बच्चे राजनीतिक पदों, शब्दों और संस्थाओं को पहले अपने सही अर्थ में समझें। भारतीय संविधान के मूल तत्व, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अर्थ, उनके कार्य, कानून बनने की विधि, समानता, स्वतंत्रता, पंथ-निरपेक्षता आदि की धारणा शिक्षण के केंद्र में होने चाहिए। बच्चे संसद और न्यायालयों को इस तरह ठीक-ठीक समझें कि दूसरों को भी उनकी पहचान करा सकें। उदाहरणों के साथ कि वे क्या काम करती हैं। शिक्षक अपना काम काल्पनिक विवरणों, वास्तविक दृष्टांतों, अखबार में छपी घटनाओं, कार्टूनों और बच्चों के अनुभवों आदि किन्हीं के सहारे आरंभ कर सकते हैं ताकि विषय रुचिकर लगे। किन्तु अन्तत: विद्यार्थी को किसी राजनीतिक शब्द या धारणा की पकड़ हो जानी चाहिए। जैसे पंचतंत्र की कथाओं के अंत में सदैव रहता है। कोई तर्कपूर्ण और सुसंगत सीख पाए।

बिना कथाओं और दृष्टांतों का कोई लाभ नहीं। कंस्ट्रक्टिविस्ट विधि से शिक्षण में इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कंस्ट्रक्टिविज़्म का अर्थ है कि शिक्षार्थी अपनी समझ और अनुभवों से नए ज्ञान का निर्माण करता है। कंस्ट्रक्टिविज़्म कोई अलग शिक्षाशास्त्र नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को समझने का एक सिद्धांत है। किसी शिक्षक या पुस्तक द्वारा ज्ञान और जानकारी की तुलना अपने अनुभव, अवलोकनों से करके कोई अपना ज्ञान निर्मित कर सकता है।

स्पष्ट सोचना और अभिव्यक्त करना

छात्रों को स्पष्ट रूप से सोचने-विचारने, तथा व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना शिक्षक का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। स्पष्ट सोचना सही सोचने के लिए ज़रूरी है। स्पष्ट सोचने का अर्थ है कि हम किसी बात पर निष्कर्ष तक पहुँचने के दौरान सभी चरणों के बारे में सचेत हैं कि हम किस आधार और तथ्यों के सहारे उस निष्कर्ष पर पहुँचें।

अत: राजनीतिक पदों को पढ़ाते हुए शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए कि छात्र उसे मूल भाव में समझ गए हैं। प्राय: किसी शब्द या अवधारणा को ठीक से समझने का एक तरीका यह है कि उसके विपरीत अवधारणा को भी समझा जाए। जैसे, जनतंत्र या लोकतंत्र क्या है, यह ठीक से समझने का एक उपाय यह जानना है कि यह क्या नहीं है। विद्यार्थियों को किसी विषय या बिंदु पढ़ाने के बाद उस पर छोटे निबंध, टिप्पणी या दस पंक्तियाँ लिखने के लिए कहा जा सकता है। फिर उन लिखी बातों पर कक्षा में ही विचार करते हुए उनमें की गई भूलें बतायी जा सकती हैं ताकि छात्र वह समझकर उसे अधिक सही, फिर पूर्ण सही लिखने का स्वयं प्रयत्न करें। इस प्रक्रिया से उन्हें सही सोच-विचार में सहायता मिलेगी।

विद्यार्थियों को स्पष्ट और गड्ड-मड्ड (confused) चिंतन की पहचान होनी ही चाहिए। स्कूली शिक्षा से ही उन्हें इसके प्रति सचेत किया जाना चाहिए। कई शब्द, मुहावरे, उपमाएँ गड्ड-मड्ड सोचने का सामान्य स्रोत हो जाते हैं, क्योंकि उनका मनमाना या बिना समझे प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों के प्रयोग वाले पैराग्राफ़ को पुस्तकों, समाचार-पत्रों या निबंधों से उद्धृत कर शिक्षक उसका सही अर्थ और प्रयोग सिखा सकते हैं। स्तरीय साहित्य, उत्तम पुस्तकों या प्रसिद्ध निबंधों के अंश पढ़ने से भी स्पष्ट चिंतन में सहायता मिलती है। उसमें आने वाले मुहावरों, उपमाओं, तुलनाओं आदि को चुनकर उस पर विचार करने से भी सोच-विचार में स्पष्टता आती है। बच्चों को कहा जा सकता है कि अखबार पढ़ते हुए या समाचार सुनते हुए वे ऐसे शब्द-प्रयोगों के उदाहरण एकत्र करें। ऐसे विविध तरीकों से अस्पष्ट या गड्ड-मड्ड चिंतन से मुक्त होकर स्पष्ट चिंतन का सचेत अभ्यास किया जा सकता है। वैसे तो यह प्रत्येक विषय के लिए आवश्यक है, किन्तु समाज विज्ञान विषयों के लिए स्पष्ट सोचना और अभिव्यक्त करना नितांत अपरिहार्य है।

विद्यार्थियों को समझाया जा सकता है कि वे कोई सामान्य निष्कर्ष या बयान देते हुए उसे उदाहरण से समझाने की क्षमता भी विकसित करें। दूसरे शब्दों में, जो बात वे कह रहे हैं, उसे ठीक उदाहरण, देकर प्रमाणित कर सकें। इससे वे अंतर्विरोधी बयानों से भी बचने में सफल होंगे। गड्ड-मड्ड चिंतन से बचने का एक तरीका है,

अपने विचारों को प्रश्नों के रूप में रखकर सोचा जाए। ऐसे सोचने में स्पष्टता आ सकती है कि ''वह क्या चीज़ है जिसका मुझे उत्तर देना है?'' किसी बिंदु पर एक पैराग्राफ़ लिखना, फिर उस पर दूसरों की राय लेने से भी मदद मिलती है। विद्यार्थियों के समक्ष किसी समस्या या विषय को प्रश्नात्मक रूप से रखना भी उपयोगी है। जैसे, ''तुम्हें स्वतंत्रता अधिक पसंद है या समानता? और क्यों?'' इससे स्वतंत्रता या समानता की धारणाओं को स्पष्टत: समझने की चुनौती मिलती है। ऐसे विचार करना सीधे समानता पर लेख लिखने के लिए कहने से अधिक लाभदायक हो सकता है।

निस्संदेह यह पूरी प्रक्रिया सचेत शिक्षक की माँग करती है। किन्तु स्पष्ट सोच-विचार का अभ्यास कराना न केवल समाज विज्ञान बल्कि बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए भी लाभकारी है। इसीलिए इसके प्रति ध्यान रखा जाना चाहिए।

अध्ययन-अध्यापन में शामिल कुछ नए राजनीतिक शब्द

विविधता (डाइवर्सिटी) – अलग और भिन्न होने का गुण। किसी राष्ट्र में विविधता को मूल्य के रूप में स्वीकारने का अर्थ यह है कि समाज का कोई हिस्सा सारी राजनीतिक शक्ति स्वयं न हथिया ले। वृहत अर्थ में इसका अर्थ विविध समुदाय, स्त्री-पुरुष, मतावलंबियों की समुचित राजनीतिक भागीदारी है।

हाशिए पर/उपेक्षित (मार्जिनलाइज्ड) – मुख्यधारा के किनारे कर दिया जाना या महत्वहीन कर दिया जाना। जैसे, ''बहुतेरी आर्थिक मान्यताएँ स्त्रियों को उपेक्षित करती हैं।'' अत: उपेक्षितकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिससे वृहत समाज का कोई अंग स्वयं को उपेक्षित, महत्वहीन पाता है। जैसे, ''निचले वर्ग की उपेक्षा''; ''भाषा-साहित्य की उपेक्षा'', आदि।

शासन, सरकार – किसी सभ्य समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्व। इसका अर्थ है (i) देश या प्रांत के नागरिकों पर नियंत्रण रखना; (ii) राजनीतिक प्रशासन, वे लोग जो किसी राजनीतिक इकाई के शासकीय अधिकारी होते हैं; (iii) शासन का रूप या व्यवस्था, जैसे राजतंत्रीय, गणतंत्रीय, आदि।

स्थानीय प्रशासन – (i) किसी शहर या गाँव की नागरिक सुविधाओं संबंधी मामलों का वहाँ के नागरिकों द्वारा स्वयं संचालन, न कि राज्य या देश की सरकार द्वारा (ii) किसी गाँव, शहर या जिले की ऐसी प्रशासन संस्था।

समानता – (i) लोकतांत्रिक देशों द्वारा स्वीकृत एक बुनियादी राजनीतिक सिद्धांत कि देश के सभी स्त्री-पुरुष बराबर नागरिक हैं, कि उन्हें जीवन रक्षा, स्वतंत्रता और स्वेच्छा से जीने की दिशा निर्धारित करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। (ii) राजकीय संस्थाएँ इस आधार पर कोई भेद भाव न करें कि कोई नागरिक किस वर्ग, धर्म, भाषा, नस्ल आदि का है। गैर-राजकीय संस्थाओं को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। (iii) दबी हुई श्रेणियों को ऊपर उठाने के लिए उनके पक्ष में थोड़ा पक्षपात अब समानता के राजकीय व्यवहार के सिद्धांत का स्वीकृत अंग बन गया है।

भेदभाव (डिस्क्रिमिनेशन) – किसी व्यक्ति या समूह के प्रति दूसरों की तुलना में अधिक अच्छा या बुरा व्यवहार करना। भारतीय समाज

में छुआछूत, जातीय, भाषाई, हैसियत, मज़हबी निर्देश आदि आधारों पर कहीं-कहीं ऐसे काम या भेद भाव होते रहते हैं जो कानून तथा सामान्य विवेक के विरुद्ध हैं। इन सबसे किसी-न-किसी को पीड़ा होती है। ऐसी गड़बड़ियाँ अधिकांशत: गैर-राजकीय संस्थाओं द्वारा की जाती हैं जिन्हें राज्य व्यवस्था अथवा वृहत समाज उचित नहीं मानता। इन्हें दूर करने का प्रयत्न होता रहा है।

लिंग-संवेदन (जेंडर) – स्त्री-पुरुष के प्रति सहज समान भाव। विशेषकर इसका अर्थ यह है कि उन व्यवहारगत, सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक गुणों को नीची नज़र से न देखा जाए जिसे प्राय: स्त्रियों से जुड़ा माना जाता है। जैसे, ममता, दयालुता, सुव्यवस्था, शांतिप्रियता, आदि। उनको उन विशेषताओं के समान महत्वपूर्ण समझना तथा आदर दिया जाना चाहिए जो पुरुषों से जुड़े माने जाते हैं। विचार करने के लिए एक उद्धरण: ''कोई किसी लड़की को सबसे महत्वपूर्ण उपहार यही दे सकता है कि उसमें अपने व्यक्तित्व की सामर्थ्य और संभावनाओं पर पूर्ण विश्वास हो, बिना इसका ध्यान किए कि वह लड़की है।''[1]

पंथ-निरपेक्षता (सैक्यूलरिज़्म) – विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों में इसके भिन्न अर्थ हैं। यथा, (1) वह राजनैतिक या सामाजिक दर्शन जो मज़हबी विश्वास और अनुष्ठानों को खारिज करता है। (2) वह प्रवृत्ति जो नागरिक मामलों में मज़हब का कोई स्थान नहीं मानती। (3) वह विचार जो मानता है कि सार्वजनिक शिक्षा और राजकीय, नागरिक नीतियाँ मजहबी बातों को अलग करके बनानी, चलानी चाहिए।

प्रोजेक्ट और स्कूल सोसाइटी (सीखने-सिखाने की एक विधि के रूप में)

बच्चों की राजनीति विषयक शिक्षा कक्षा में पढ़ाई-लिखाई से बाहर की गतिविधि से भी जुड़ती है। जैसे उन्हें प्रोजेक्ट देना। प्रोजेक्ट सरल, दिलचस्प और ऐसे हों जिन्हें बच्चे स्वयं बिना दूसरों की सहायता लिए कर सकें। कुछ प्रोजेक्ट लंबी अवधि के भी हो सकते हैं। जैसे, जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो, तब वहाँ हो रही चर्चा संबंधी समाचार एकत्र करना। बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वह हर हाल में इसे स्वयं करें। तभी उनमें अपने सीखने के प्रति विश्वास पैदा होगा। दूसरा काम स्कूल सोसाइटी बनाना हो सकता है। लड़के, लड़कियाँ अलग या मिश्रित ग्रुप बनाकर किसी विषय पर विमर्श करें और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कक्षा मॉनीटर के चुनाव जैसी गतिविधि भी शिक्षाप्रद हो सकती है। इससे राजनीतिक चुनाव की प्रक्रियाओं को समझना सरल हो सकता है। इस प्रकार, कक्षा में पढ़ाई, प्रोजेक्ट और गतिविधियाँ मिलाकर राजनीति की अच्छी समझ की तैयारी हो जाएगी। ताकि बच्चे आगे चलकर अपने स्थानीय समाज के सचेत, सक्रिय और मानवतावादी सदस्य बनें। साथ ही देश के विचारशील और अच्छे नागरिक भी।

कुछ सावधानियाँ

राजनीति विज्ञान की शिक्षा देते हुए हम बच्चों को संपूर्ण नागरिक बना देने की अधीरता न रखें। यदि हमने उन्हें कुछ राजनीतिक धारणाओं, संस्थाओं की जानकारी का ठोस आधार दे दिया है, और उनमें राजनीतिक मुद्दों को जानने की इच्छा जगा दी है, तो हमारा काम संतोषजनक है।

पर इसका अर्थ यह भी नहीं कि राजनीति की सारी सैद्धांतिक-व्यावहारिक समझ वे वयस्क होकर स्वयं ही प्राप्त करें। हमें उनकी समझ के स्तर के मुताबिक बुनियादी ज्ञान भी देना है। जानकारी विहीन वयस्क वोटर ही अच्छे राजनीतिज्ञों के लिए कठिनाई हैं, और उनसे घटिया राजनीतिकर्मियों को अपना स्वार्थ साधने का मौका मिलता है।

स्थानीय मामलों, घटनाओं, दृष्टांतों पर बहस-मुबाहसा इतना न खिंचे कि वृहत विषय पर पहुँचने का समय ही न बचे। अखबारी समाचारों, कार्टूनों आदि के लिए भी यह है। किसी रूप में अंततः बच्चे को पूरी चर्चा की सीख किसी राजनीतिक शब्द या संस्था को ठीक से समझने के रूप में मिलनी चाहिए। वह केवल किसी भावुक घटना या समाचार का वर्णन भर सीखकर न रह जाए, और निष्कर्ष और धुंधली सी चीज़ न रहे।

प्रोजेक्ट आदि करते हुए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि विविध स्रोतों से सूचनाएँ इकट्ठा करें। किन्हीं समाचार के विवरणों, अलग-अलग लोगों की बातें पढ़-सुनकर, तथा अन्य विधियों से उन्हें सच और झूठ, महत्वपूर्ण और अमहत्वपूर्ण का भेद कराने की योग्यता को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं तो यह खतरा रहेगा कि राजनीति का अध्ययन केवल गप्प, लफ्फाज़ी या मतवादी पक्षपात भर न रह जाए। या मुर्गे लड़ने-लड़ाने जैसा कोई खेल न समझ लिया जाए। ऐसी ओछी समझ राजनीति के अध्ययन से अलग है। उदाहरण के लिए, आज राजनीति और मीडिया के अंतःसंबंध को समझने में तथ्यों, तर्कों का वास्तविक आकलन करने का अभ्यास कराया जा सकता है। बच्चे स्वयं अपने विवेक के सहारे सच, आधा सच और झूठ, भारी और हल्की अतिरंजित या अधूरे विवरणों की परख करना सीख सकते हैं।

इसमें शिक्षक भी उनकी मदद कर सकते हैं। किन्तु वह विवेक एवं तर्क आधारित हों, न कि अपने पद अधिकार पर। किसी राजनीतिक मुद्दे पर यदि दलीय या अन्य पक्षधरता से बचना कठिन हो, तो शिक्षक को स्पष्ट रूप से अपनी पसंद बता देनी चाहिए। यह कहते हुए कि दूसरों का मत भिन्न हो सकता है। इससे बच्चे किसी मत विशेष से अनुचित प्रभावित नहीं होते हुए बात समझ सकेंगे। स्वतंत्र, तथ्यपूर्ण, खुला विमर्श और सोचने-समझने वाले नागरिकों पर ही लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा भी ऐसे नागरिकों के बल पर ही होती है जो इसका मूल्य समझते हैं। इसलिए बच्चों को विवेकपूर्ण ढंग से विचार-विमर्श का अभ्यास कराना आवश्यक है।

मत/तथ्य – मत और तथ्य दो भिन्न चीज़ है। राजनीति विज्ञान के अध्यापन में इस पर सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है। मत या ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में एक नज़रिया या विश्वास को कहते हैं, जो ज़रूरी नहीं कि ठोस तथ्य या जानकारी पर आधारित हो। इसी से अंग्रेज़ी का 'opinionated' विशेषण बना है जो नकारात्मक अर्थ में प्रयुक्त होता है। अर्थात् किसी बिंदु पर अनम्य विचार रखना जिसे विपरीत तथ्यों के बावजूद न बदलने, न उसमें सुधार करने को तैयार हो। जबकि तथ्य वास्तविकता, सच्चाई को कहते हैं। इस प्रकार, किसी राजनीतिक घटना, प्रसंग, शब्द या संस्थान के बारे में मत और तथ्य

भिन्न बातें हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश संसद पर कार्ल मार्क्स या महात्मा गाँधी के विचार उनके अपने-अपने मत थे, तथ्य नहीं। ऐसा अनेक राजनीतिक संस्थाओं, घटनाओं, व्यक्तियों आदि पर हो सकता है। बच्चों को कुछ बताते हुए यह अंतर ध्यान रहे कि उन्हें तथ्य दिया जाए, मत नहीं ताकि यदि चाहें तो व्यस्क होने पर, अधिक अध्ययन और अनुभव के बाद, वे अपना मत स्वयं बना सकें। तब तक उन पर किसी दूसरे का मत नहीं थोपना चाहिए।

मतवादीकरण (इनडॉक्ट्रिनेशन)/ शिक्षा – वही अंतर मतवादीकरण और शिक्षा में भी है। ये दोनों एक-दूसरे के विपरीत हैं। शिक्षा का अर्थ है किसी को स्वयं ज्ञान, जानकारी पाने में सहयोग देना न कि उसे कोई बना-बनाया विचार या मत दुहराने वाला व्यक्ति बनाना। समाज विज्ञान विषयों के लिए यह सावधानी विशेष आवश्यक है। तैयार निष्कर्षों, मताग्रहों, पक्षपाती धारणाओं को बच्चों में भरने से बचना चाहिए। चाहे सुनने में वे मत कितने सुंदर ही क्यों न लगें। शिक्षित होना और नासमझी भरा दुहराना दो भिन्न चीज़ें हैं। उसी तरह शिक्षा और मतवादीकरण भी विपरीत बातें हैं, जिसका ध्यान समाज विज्ञान के अच्छे शिक्षक को रखना चाहिए अन्यथा शिक्षा और मताग्रह का भेद धुंधला पड़ जाता है। राजनीति विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य दलीय कार्यकर्ता तैयार करना नहीं है। शिक्षा ज्ञान पाने या देने को कहते हैं, ताकि विद्यार्थी में विवेक करने की क्षमता विकसित हो, ताकि वह अपने जीवन के लिए बौद्धिक रूप से भी तैयार हो सके। इसके विपरीत मतवादीकरण किसी मत या विचारधारा विशेष में किसी को आग्रही बनाने के प्रयास को कहते हैं। शिक्षा से यह इस तरह भी भिन्न है कि मतवाद से प्रभावित व्यक्ति उस मत की समीक्षा करने के लिए राजी नहीं होता। इसलिए हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे किसी भी विषय, विचार, सिद्धांत को निरंतर तथ्यों, अवलोकन और चिंतन द्वारा परखने की प्रवृत्ति विकसित करें। अच्छे प्रतीत होने वाले मत के प्रति भी अंधविश्वास से बचें। यह समाज विज्ञान विषयों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सावधानी है ।

प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक नोआम चोमस्की के अनुसार, ''जो स्वतंत्रता के पक्के खोजी हैं, उनके लिए मतवादीकरण की प्रक्रिया और गतिविधि को ठीक से समझना सबसे ज़रूरी कर्त्तव्य है। तानाशाही शासन वाले देशों में इसे देख पाना बड़ा आसान है, किन्तु 'स्वतंत्रता में मगज धुलाई' की व्यवस्था को देख पाना बहुत कठिन है जिसमें हम मजबूर किए जाते हैं, और जिसके कई बार हम अनजाने उपादान बन जाते हैं''[2] चोमस्की की यह बात दो-धारी तलवार है, जो लोकतंत्र में सरकारी प्रयासों पर भी उतनी ही लागू है जितनी विविध रेडिकल, राजनीतिक, बौद्धिक संगठनों, बुद्धिजीवियों पर जो अपने मतवादी विचारों को स्थापित करने के लिए स्वतंत्रता का उपयोग उसी शिद्दत से करते हैं।

मतवादीकरण के कुछ तरीके इस प्रकार हैं – किसी का भावनात्मक दोहन, उसमें अपराध-बोध भरना, बार-बार आलोचना करना, छिद्रान्वेषण, लज्जित करना, दोषारोपण करना, पीड़ित होने का स्वांग करना, तथ्यों पर छल, तथ्यों से इंकार, गलत सूचनाएँ देना, तथ्यों को विकृत रूप में पेश करना, असुविधाजनक बातों से बचने की कोशिश करना, अतिरंजना करना, मिथ्या बोलना, किसी

महत्वपूर्ण बात को घटाकर पेश करना, आदि। समाज विज्ञान की शिक्षा में आमतौर पर, और राजनीति तथा इतिहास की शिक्षा में खासतौर पर इस तरह की बातें देखने में आती हैं, जो शिक्षा की भावना के विरुद्ध हैं।

भारतीय लोकतंत्र की सकारात्मक प्रस्तुति

हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली के व्यवहार में बहुत-सी कमियाँ हैं। किन्तु कमियों की चर्चा हमारे देश की सामाजिक-राजनीतिक उपलब्धियों से काटकर नहीं करनी चाहिए। राज्य संस्थाओं का ढीलापन अथवा सामाजिक विषमता, भेद भाव, पुलिस या सुरक्षा बलों द्वारा जब-तब नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन, आदि के बारे में जानना एक बात है। किन्तु एक आदतन राज्य-विरोधी रुख अपनाना दूसरी बात है। आलोचना समेत संतुलित जानकारी तथा एकपक्षीय निंदा में स्वस्थ अंतर रखना चाहिए। विविध समस्याओं, मुद्दों की चर्चा करते हुए यह खतरा बना रहता है कि विफलताओं की चर्चा में उपलब्धियाँ एकदम छूट न जाएँ।

विद्यार्थियों को राजनीतिक सिद्धांत की समझ की ओर बढ़ाने के लिए इसमें संतुलन रहना आवश्यक है। कभी-कभी विद्वान विषमता, मानवाधिकार, आदि विषयों की उचित चिंता करते हुए एक निराशाजनक तस्वीर खींच देते हैं। यह किसी दलीय सक्रियता के लिए उपयुक्त हो सकता है, किन्तु शिक्षा में ऐसी प्रवृत्ति उपयुक्त नहीं। बच्चे स्वभाविक रूप से उत्साही, रचनाशील और देशभक्त होते हैं। अतः देश की राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद कमियों पर उनमें सकारात्मक भाव को प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि उनमें निराशा के बदले रचनात्मक चिंतन की प्रेरणा हो। उदाहरण के लिए, पूरे देश की जनसंख्या, क्षेत्र, विविध प्रकार की सीमाओं, समस्याओं, उसके प्रति राजकीय और गैर-राजकीय संस्थाओं, लोगों की भावना, आदि की पृष्ठभूमि में किसी समस्या का स्वरूप रखना चाहिए न कि उस समस्या को अलग-थलग करके। तब हम देख सकेंगे कि दुनिया के अनेक देशों की तुलना में हमारे देश में उस समस्या का रूप, आकार क्या है। तभी उसके वास्तविक आकलन और समाधान की चिंता सम्यक रूप ले सकेगी। बच्चों को भारतीय लोकतंत्र की पूरी शिक्षा संतुलित, सकारात्मक रूप में देना ही उनके लिए और देश के लिए हितकारी है।

संदर्भ

1. http://www.collgiate.co.za/desk.axpx
2. http://www.zpub.com/un/chomsky.html/